राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः–एफ 165 (07)पराविं/एसएफसी/पंचम/2016–17/ 19848–50 जयपुर, दिनांकः– 28.11.2016

मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, / समस्त विकास अधिकारी
जिला परिषद समस्त।

विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अन्तरिम रिपोर्ट वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

संदर्भः– विभागीय पत्र क्रमाक एफ 165 (07)पराविं/एसएफसी/पंचम/2016–17/19793–95, दिनांक 22.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अन्तरिम रिपोर्ट वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है जिसकी प्रति आपको डाक द्वारा प्रेषित की जा कर विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड की गई है। उक्त दिशा निर्देशो की प्रति आपके अधिनस्थ सभी पंचायती राज संस्थाओ (पंचायती समिति एवं ग्राम पंचायते) को भिजवाते हुये यह सुनिश्चित करावें की पंचायत राज संस्थाओ को पंचम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग दिशा निर्देशो के अनुरुप ही किया जावे एवं व्यय की गई राशि के उपयोगीता प्रमाण पत्र जिला परिषद स्तर पर संकलित कर निर्धारित प्रारुप मे मुख्यालय को भिजवाये ताकि दिशा निर्देशो की शर्त (60 प्रतिशत राशि का उपयोग करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को ही पंचम राज्य वित्त आयोग की द्वितीय किस्त की राशि हस्तान्तरित की जावेगी) की पालना की जाकर द्वितीय किस्त की राशि के आवटन की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

वित्तीय सलाहकार

C:\Users\Administrator\Downloads\Letters.docx